

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/1808 /3474/2011/ई/चार,  
प्रति

भोपाल, दिनांक 10-6-13

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त जिलाध्यक्ष  
मध्यप्रदेश।

विषय:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी बीमा सह बचत योजना-2003 के अन्तर्गत वार्षिक ब्याज दर।

--00--

राज्य शासन मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी बीमा सह बचत योजना-2003 के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से आगामी पांच वर्षों के लिए योजनान्तर्गत बचत राशि पर 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर निर्धारित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(मनीष रस्तोगी)

सचिव


मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग  
भोपाल, दिनांक 10/6/13

पृष्ठांकन क्रं./ 1809/3474/2011/ई/चार,  
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
4. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।

--2--

11. निरीक्षक, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल/ जबलपुर/इंदौर/ रायसेन।
12. निरीक्षक/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
13. निरीक्षक (लेखा और हकदारी/आडिट-1) मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
14. अध्याक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
15. प्रमुख सचिव/ सचिव/ उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
17. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/ प्रशिक्षण शाखा/ अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल।
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल।
19. समस्त संभागीय, संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश।
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
21. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।
23. अध्याक्ष शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों के अरर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(प्रदीप उपोध्याय)

उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग